

कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल।

आदेश-शिक्षा/मान्यता/138

/2015-16

दिनांक 12-05-2015

सेवा में,

10398-405

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक

द गुरुकुल, निकट-भवानीपुर का पुल

चन्दौसी रोड सम्भल, विकास खण्ड पंवासा

जनपद सम्भल।

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

मण्डलीय मान्यता समिति बैठक दिनांक 09.04.2015 में लिए गए निर्णय के अनुसार खण्ड शिक्षा अधिकारी, पंवासा एवं विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण अनुसार दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 30.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 (अग्रेजी माध्यम) तक के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन हैं-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूम में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संबन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपाबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तथा आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा-2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिक प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा 15 के निम्न उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 - I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - II. किसी भी बालक को न तो शारीरिक दण्ड दिया जायेगा और न ही मानसिक उत्पीड़न किया जायेगा।
 - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
 - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।
 - VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेंगे।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमों को बनाये रखेगा, अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-
 विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 2 एकड़
 कुल निर्मित क्षेत्र- 8000 स्क्वोर मी०
 प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय-सहभण्डारागार के लिए कक्ष-01
 बालक, बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-हों
 पेयजल सुविधा-हों
 अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता-हों
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैरमान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाये जायेगी।
10. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1860 (1860का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक - **130** हैं, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यलय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक /जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के दिए अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धित शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त, जो विहित की गई है।

यदि आपके द्वारा प्रस्तुत पत्राजातो में कोई तथ्य छिपाया हुआ पाया जाता है और उसके प्रकाश में आने पर इस मान्यता आदेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो बिना नोटिस के मान्यता समाप्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(सतेंद्र कुमार)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 सम्मल।

पृ०सं०:-शि०सहा०/मान्यता/10398-405 /2015-2016 दिनांक उक्तवत
 प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद।
2. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), द्वादश मण्डल मुरादाबाद।
4. समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सम्मल।
5. संबन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी जनपद सम्मल।
6. कार्यालय गाठित पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 सम्मल।